संख्या:73/2026/546/35-4-2026/35-4002(003)/39/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जौनपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1197/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 14.3.2026 एवं पत्र सं0-1204/त्व0आ0वि0यो0/DESTO/2025-26 दिनांक 17.3.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद- जौनपुर में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. **3950.98** लाख (रूपये उन्तालीस करोड़ पचास लाख अट्ठान्म्बे हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **987.00** लाख (रूपये नौ करोड़ सत्तासी लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (मी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	कुशमौल मार्ग से करतौरा प्रा0वि0 तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	700	38.55	10.00	ग्रा0अभि0वि0
2	करौरा राजेश सिंह के घर तक लेपन व इंटरलाकिंग का निर्माण कार्य।	520	26.19	7.00	ग्रा0अभि0वि0
3	राममुनि उपाध्याय के घर तक पतहना में इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	520	31.38	8.00	ग्रा0अभि0वि0
4	हरिपुर से भटौली तक लेपन का कार्य।	1100	44.25	11.00	ग्रा0अभि0वि0
5	मुडाव से महैन्द्रू तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	1000	58.78	15.00	ग्रा0अभि0वि0
6	भुईधरा सम्पर्क मार्ग तक लेपन व इंटरलाकिंग का निर्माण कार्य।	630	24.27	6.00	ग्रा0अभि0वि0
7	सी0सी0 रोड छिमिया से सुजानगंज बरईपार तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	1143	66.59	17.00	ग्रा0अभि0वि0
8	नरीपुर मार्ग से डीह गड़वार बिन्द बस्ती तक लेपन का कार्य।	2060	78.2	20.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

9	अचकारी मार्ग सर्वेमऊ (तिवारी बस्ती) तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	800	44.87	11.00	ग्रा0अभि0वि0
10	अचकारी बिन्द बस्ती से बेलवार घाट मार्ग तक लेपन का कार्य।	1800	86.06	22.00	ग्रा0अभि0वि0
11	ग्राम सभा बटनहित नहर चौराहे से सरोज बस्ती/विश्वकर्मा बस्ती तक लेपन व इंटरलाकिंग का निर्माण कार्य।	500	21.55	5.00	ग्रा0अभि0वि0
12	ग्राम सभा बनगाँव (गनपति का पूरा) सुरेश पटेल के घर से मुसहर बस्ती व मेहीलाल के पाही तक लेपन का कार्य।	500	19.78	5.00	ग्रा0अभि0वि0
13	ग्राम सभा करनौली पक्की सड़क से पटेल बस्ती तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	750	36.5	9.00	ग्रा0अभि0वि0
14	ग्राम सभा करौदा बबईराम प्रजापति के घर से कम्पोजिट विद्यालय तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	540	27	7.00	ग्रा0अभि0वि0
14	पाली मोकलपुर मार्ग मस्तान गेट से संतोषपुर पटेल बस्ती तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	610	39.52	10.00	ग्रा0अभि0वि0
15	केडवारी डॉ0 रत्नेश के दुकान से होते हुए कटेसर बाबा सिंह के घर तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	550	32.21	8.00	ग्रा0अभि0वि0
16	संजय नगर रसवदिया मार्ग से प्राथमिक विद्यालय रसवदिया पंचायत भवन होते हुए बनीडीह तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	1300	72.5	18.00	ग्रा0अभि0वि0
17	औरैला संतोषपुर चौरा माता मंदिर से बुठऊ महादेव मन्दिर से पटेल बस्ती तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	650	39.68	10.00	ग्रा0अभि0वि0
18	औरा नहर पुलिया से बनपुरवा प्राथमिक विद्यालय से होते हुए छांगापुर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	568	34.99	9.00	ग्रा0अभि0वि0
19	पचवल एन0एच0 135 ए लिंक रोड पर पचवल प्राइमरी पाठशाला के पीछे से वरदान विद्यालय तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	1080	50.96	13.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

20	हसनपुर बूल्लर पटेल के घर से होते हुए हरिहरपुर पिच रोड तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	36.95	9.00	ग्रा0अभि0वि0
21	पुराजीवन यादव बस्ती से रिकेबीपुर तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	937	39.85	10.00	ग्रा0अभि0वि0
22	रामनगर जयरामपुर मार्ग होरैया जूनियर हाईस्कूल से ठाकुर बस्ती तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	36.41	9.00	ग्रा0अभि0वि0
23	रामपुर सेमुही रोड बंसीलाल इंटर के पास होते हुए रामपुर-बरसठी रोड तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	700	39.32	10.00	ग्रा0अभि0वि0
24	नेवादा असलेमपुर पिच रोड से रोजन अली के दुकान से कपूर सेठ के दुकान से ट्यूबवेल चौराहा से कूदनापुर पटेल बस्ती तक पिच रोड का निर्माण कार्य।	900	37.35	9.00	ग्रा0अभि0वि0
25	भरसथ वसीरपुर पिच रोड से महेवा पटेल बस्ती होते हुएवसीरपुर पंचायत भवन तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	620	39.46	10.00	ग्रा0अभि0वि0
26	भण्डारी से शीतला चौकिया मार्ग से लखनपुर होते हुए रेलवे क्रासिंग तक मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य।	1141	317.01	79.00	ग्रा0अभि0वि0
27	विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा मजीठी में पिच रोड से ब्राहम्ण बस्ती, चौरा माता व गुप्ता बस्ती होते हुए मजीठी पिच रोड तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	33.08	8.00	ग्रा0अभि0वि0
28	विकास खण्ड के ग्राम कल्याणपुर में गौड बस्ती से मुख्य मार्ग तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	503	27.81	7.00	ग्रा0अभि0वि0
29	विकास खण्ड बक्शा के ग्राम औंका में बाबुल नाथ के घर होते हुए प्रा0वि0 व पश्चिम मुख्य मार्ग तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	31.82	8.00	ग्रा0अभि0वि0
30	विकास खण्ड बक्शा के ग्राम सभा मितांवा में पिच रोड से इन्दमणि मिश्रा के घर होते हुए अमोद के घर के आगे तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	504	30.49	8.00	ग्रा0अभि0वि0
31	विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम बेसहूपुर में इण्टरलाकिंग से रामधनी कोटेदार के घर से बेसहूपुर रामलीला मंच तक तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	662	43.44	11.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

32	विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा राजा बाजार में इन्द्रा चौका से तिलक चबूतरा तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	503	27.81	7.00	ग्रा0अभि0वि0
33	विकास खण्ड बक्शा के ग्राम सभा देवरिया में सुभाष चौहान के घर होते हुए यादव बस्ती तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	607	39.59	10.00	ग्रा0अभि0वि0
34	विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम हरिहरपुर में एन0एच0-56 नहर पटरी से हरिहरनाथ मंदिर होते अशोक के घर के पीछे तक सी0सी0 इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	508	27.92	7.00	ग्रा0अभि0वि0
35	विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम सभा बुढ़नेपुर में पिच रोड से देवी प्रसाद के घर होते हुए बजरंगी सिंह के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	41.14	10.00	ग्रा0अभि0वि0
36	विकास खण्ड बक्शा के ग्राम सभा सलामतपुर तेजी बाजार में गुप्ता बस्ती शिव मंदिर से मुख्य सम्पर्क तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	31.71	8.00	ग्रा0अभि0वि0
37	विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा के बैरमा में नहर पटरी से मौर्य बस्ती तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	42.13	11.00	ग्रा0अभि0वि0
38	विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा सेनपुर चारो सम्पर्क मार्ग से सचेन्द्र मिश्र के घर होते हुए बासूपुर सेनपुर मार्ग खडण्जा तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	27.62	7.00	ग्रा0अभि0वि0
39	विकास खण्ड महराजगंज के ग्राम सभा गद्दोपुर पूरालाल मार्ग से सुरेन्द्र के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	502	27.72	7.00	ग्रा0अभि0वि0
40	विकास खण्ड बदलापुर में प्रयागराज-गोरखपुर रोड से ग्राम सभा तिलवारी मोड़ से सरोज बस्ती होते हुए गोपालपुर मार्ग तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	39.28	10.00	ग्रा0अभि0वि0
41	विकास खण्ड बदलापुर के ग्राम सभा केवटली कला के कमरपुर में नहर पटरी से शिवसेवक के घर होते हुए पिच रोड तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	503	27.64	7.00	ग्रा0अभि0वि0
42	विकास खण्ड सिरकोनी ग्राम मिसिरपुर वाराणसी जौनपुर मार्ग से यादव बस्ती होते हुए ब्राहम्ण बस्ती तक लेपन कार्य।	500	20.11	5.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

43	विकास खण्ड सिरकोनी ग्राम बदलपुर लालचंद के पाही से सरकारी राशन की दुकान तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	27.83	7.00	ग्रा0अभि0वि0
44	विकास खण्ड धर्मापुर ग्राम कादीपुर प्रा0वि0 से आनन्दपुर होते हुए करमही प्रा0वि0 तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	530	29.13	7.00	ग्रा0अभि0वि0
45	विकास खण्ड जलालपुर छितौना दुबेपुर मार्ग ग्राम दुबेपुर पिच रोड से दीपक दुबे के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	27.75	7.00	ग्रा0अभि0वि0
46	विकास खण्ड जलालपुर महरेव नहोरा मार्ग ग्राम नहोरा पिच रोड से नहोरा बेदुबान बस्ती सोनकर बस्ती तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	27.48	7.00	ग्रा0अभि0वि0
47	विकास खण्ड जलालपुर ग्राम नाहरपट्टी प्रा0वि0 अम्बरपुर से पसियाही कला धमहापुर पुलिया तक पिच रोड निर्माण कार्य।	600	28.83	7.00	ग्रा0अभि0वि0
48	विकास खण्ड सिरकोनी नैपुरा कबूलपुर मार्ग ग्राम सुंगुलपुर राजभर बस्ती यादव बस्ती सरोज बस्ती होते हुए रसूलपुर निषाद व चौहान बस्ती शिव मंदिर तक लेपन कार्य।	700	25.9	6.00	ग्रा0अभि0वि0
49	विकास खण्ड धर्मापुर ग्राम बसवत डीह बाबा आर सी सी रोड से होते हुए अमरा पिच रोड तक लेपन कार्य।	500	18.23	5.00	ग्रा0अभि0वि0
50	विकास खण्ड करंजाकला ग्राम सलोनी महिमापुर आरा चौकिया पिच रोड से भैयालाल व अमृतलाल के घर होते हुये पारापट्टी सरहद तक पिच रोड निर्माण कार्य।	650	30.09	8.00	ग्रा0अभि0वि0
51	विकास खण्ड जलालपुर ग्राम करदहा लालजी के खेत से गौंड बस्ती एवं अनुसूचित बस्ती नट बस्ती होते हुए राधे श्याम के घर तक पिच रोड निर्माण कार्य।	800	37.46	9.00	ग्रा0अभि0वि0
52	विकास खण्ड जलालपुर प्रधानपुर कुसिया मार्ग ग्राम सलिलपुर में राजभर बस्ती तक लेपन कार्य।	500	18.67	5.00	ग्रा0अभि0वि0
53	विकास खण्ड सिरकोनी ग्राम जमैथा राममिलन मास्टर के घर से राजीव के घर तक पिच रोड निर्माण कार्य।	750	33.9	8.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

54	विकास खण्ड सिरकोनी भुवालापट्टी डॉ0 भीम राव अम्बेडकर मूर्ति से सामुदायिक भवन दुर्गावती देवी एवं अजीत कुमार के घर इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	27.29	7.00	ग्रा0अभि0वि0
55	विकास खण्ड धर्मापुर ग्राम तरसण्ड नन्हें सिंह प्रधान के खेत से होते हुए बालेमऊ-उसरहिया रेलवे अंडरपास तक लेपन कार्य।	550	20.09	5.00	ग्रा0अभि0वि0
56	विकास खण्ड जलालपुर ग्राम धरावं दुधई यादव के दुकान से छितौना पिच रोड नवीन के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	31.69	8.00	ग्रा0अभि0वि0
57	विकास खण्ड जलालपुर मडियाहूं मार्ग थान मल्लह बस्ती कमला राजभर रामचन्द्र निषाद के मकान तक लेपन कार्य।	750	29.92	7.00	ग्रा0अभि0वि0
58	विकास खण्ड धर्मापुर ग्राम सोनारी राजबली के घर से रमई के घर होते हुए कल्लू यादव के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	600	35.02	9.00	ग्रा0अभि0वि0
59	विकास खण्ड जलालपुर ग्राम उसारा पुरवा सभापति यादव के घर से प्रेम राजभर विजय बहादुर शिव मंदिर तक तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	27.72	7.00	ग्रा0अभि0वि0
60	ग्राम सभा जयपालपुर विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर रामसिंह के मशीन से शिव मंदिर होते हुए शंकर साइन के घर होते हुए जीत लाल मास्टर के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	618	32.34	8.00	ग्रा0अभि0वि0
61	ग्राम सरायफत्तू विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर सरायफत्तू नहर से पलई का पूरा तिराहा (गेट) तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	611	36.67	9.00	ग्रा0अभि0वि0
62	विकास खण्ड सुजानगंज मधुपुर बेरमाव पक्की सड़क से रोहियाव से अमाव बार्डर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	710	37.09	9.00	ग्रा0अभि0वि0
63	विकास खण्ड डोभी के ग्राम सभा बरडिहा में पतिराम यादव की मूर्ति से सभाजीत यादव के घर से होते हुए जू०हा० तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	510	28.89	7.00	ग्रा0अभि0वि0
64	विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्रामसभा करमौना में गांगी - नदी चमार से होते हुए किसुन यादव के घर तक लेपन का कार्य।	650	38.1	10.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

65	-विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्राम सकरा में राम जीयावन के घर से मारकण्डे विश्वकर्मा के मन्दिर तक लेपन का कार्य।	650	38.1	10.00	ग्रा0अभि0वि0
66	विकास खण्ड बक्शा ग्राम चित्तौडी अमरनाथ के घर से चित्तौडी बाजार तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	550	30.81	8.00	ग्रा0अभि0वि0
67	विकास खण्ड बक्शा ग्राम पिपरी पक्की सड़क से कर्पूरी विशवकर्मा के घर तक लेपन कार्य।	900	33.76	8.00	ग्रा0अभि0वि0
68	विकास खण्ड करंजाकला ग्राम नरौली पिच रोड पक्की सडक बंशराज यादव के मशीन के पास शमशान घाट तक लेपन का कार्य।	900	38.87	10.00	ग्रा0अभि0वि0
69	विकास खण्ड खुटहन अन्तर्गत ग्राम पंचायत मलूकपुर में बेचन के ट्यूबेल से ठाकुर बस्ती होते हुए पिच सड़क तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	510	29.54	7.00	ग्रा0अभि0वि0
70	विकास खण्ड खुटहन अन्तर्गत ग्राम पंचायत शेरापट्टी में पिच सड़क से प्राथमिक विद्यालय होते हुए रविकान्त विश्वकर्मा के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	25.12	6.00	ग्रा0अभि0वि0
71	विकास खण्ड सुइयाकला अन्तर्गत ग्राम पंचायत मदारीपुर भेला में पट्टी नरेन्द्रपुर-समोधपुर मार्ग से बिन्द बस्ती तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	535	24.85	6.00	ग्रा0अभि0वि0
72	विकास खण्ड खुटहन अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुल्तानपुर घुघरी में पिच सड़क से बिन्द बस्ती होते हुए सुभाष यादव के खेत तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	568	26.26	7.00	ग्रा0अभि0वि0
73	विकास खण्ड खुटहन अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुबारकपुर 3 में राम खेलवान प्रजापति के घर से चंगू गुप्ता के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	500	27.15	7.00	ग्रा0अभि0वि0
74	विकास खण्ड खुटहन अन्तर्गत ग्राम पंचायत पिलकिछा (नकवी) में खुटहन-पिलकिछा रोड से प्रजापति बस्ती व झंगू बिन्द के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य ।	590	25.19	6.00	ग्रा0अभि0वि0
75	विकास खण्ड सुझ्याकला अन्तर्गत ग्राम पंचायत कम्मरपुर पिच सड़क से बिन्द बस्ती होते हुए नरोत्तमपुर ठाकुर बस्ती तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य ।	550	25.53	6.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

76	विकास खण्ड साँधी (शाहगंज) अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोपा में कम्पोजिट विद्यालय से चौहान बस्ती होते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	778	39.22	10.00	ग्रा0अभि0वि0
77	विकास खण्ड सुइथाकला अन्तर्गत ग्राम पंचायत रुधौली में नहर पिच रोड से फूलचन्द्र यादव, कंतू प्रजापति व सुनील प्रजापति के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	580	32.87	8.00	ग्रा0अभि0वि0
78	विकास खण्ड शाहगंज (साँधी) अन्तर्गत गाम पंचायत अरगूपुर कलां स्थित बीबीगंज बाजार में चौक से तेलियाना, विश्वकर्मा बस्ती होते हुए मुसहर बस्ती तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	250	36.58	9.00	ग्रा0अभि0वि0
79	विकास खण्ड सुइयाकला अन्तर्गत ग्राम पंचायत रुधौली में पिच सड़क से दाई माता मन्दिर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य । ।	515	27.84	7.00	ग्रा0अभि0वि0
80	विकास खण्ड शाहगंज (साँधी) अन्तर्गत ग्राम पंचायत परासिन में पिच सड़क से ब्राहमण बस्ती होते हुए अनुसूचित बस्ती तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	510	32.67	8.00	ग्रा0अभि0वि0
81	विकास खण्ड सुइयाकला अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुड्थाकला में लालजी सोनी के घर से धोबी बस्ती, मौर्य, बेनवंशी व बरई का पुरवा स्थित रामबली मौर्य के घर होते हुए अनुग्रह दुबे के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	680	34.32	9.00	ग्रा0अभि0वि0
82	विकास खण्ड सुइथाकला अन्तर्गत ग्राम पंचायत सारी जहांगीर पट्टी में ठाकुर बाबा के मन्दिर से राजेन्द्र वर्मा व आशीष श्रीवास्तव के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य ।	567	32.79	8.00	ग्रा0अभि0वि0
83	विकास खण्ड सुइथाकला अन्तर्गत ग्राम पंचायत जैनपुर में श्रीपति वर्मा के आटा चक्की से राधेश्याम वर्मा के दुकान तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	540	29.53	7.00	ग्रा0अभि0वि0
84	विकास खण्ड सुइथाकला अन्तर्गत ग्राम पंचायत उसरौली में बिरैली मार्ग से हौशिला प्रसाद मिश्र के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	545	28.91	7.00	ग्रा0अभि0वि0
85	विकास खण्ड सुइथाकला अन्तर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में पिच सड़क से अनूप पाण्डेय (मोनू) के घर एवं नहर तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	510	20.75	5.00	ग्रा0अभि0वि0
86	विकास खण्ड डोभी ग्राम उमरी में उमरी बरडीहा सम्पर्क मार्ग से अजीत सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	725	40.39	10.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

87	विकास खण्ड सिकरारा ग्राम सुंगुलपुर में संतोष ठेकेदार के घर से महावल के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	500	31.22	8.00	ग्रा0अभि0वि0
88	विकास खण्ड रामनगर ग्राम चढ़ई ढेलहा रोड से बजरंगबली मन्दिर से शिवा बाबा मन्दिर तक लेपन का कार्य।	1000	50.64	13.00	ग्रा0अभि0वि0
89	विकास खण्ड केराकत ग्राम सोहनी (बरबसपुर) ईश्वर देव के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	250	16.55	4.00	ग्रा0अभि0वि0
90	विकास खण्ड रामनगर ग्राम लाखापुर में नहर पुलिया के आगे सितमसराय सम्पर्क मार्ग से बेनवंशी बस्ती से ग्रामसभा गुतवन ब्राहमण बस्ती से होते हुए महादेव मंदिर के पीछे नहर पुलिया तक लेपन का कार्य।	1274	41.92	10.00	ग्रा0अभि0वि0
91	विकास खण्ड केराकत ग्राम चौकिया में राम विलास निषाद के घर से वजनू के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	500	30.65	8.00	ग्रा0अभि0वि0
92	विकास खण्ड बदलापुर में सुजानगंज रोड से करेंपुर शिव मंदिर के सामने सत्यप्रकाश सिंह के घर तक लेपन कार्य।	1200	38.12	10.00	ग्रा0अभि0वि0
93	विकास खण्ड रामनगर के गुतवन बाजार में दिनेश शर्मा की दुकान से सम्पूर्ण बाजार तक लेपन का कार्य।	800	29.13	7.00	ग्रा0अभि0वि0
94	विकास खण्ड मछलीशहर ग्राम बनगांव सरायबीका में राम मूर्ति यादव के घर से श्रीमती उर्मिला सिंह के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	560	28.82	7.00	ग्रा0अभि0वि0
95	विकास खण्ड सुजानगंज बसरही बेरो सम्पर्क मार्ग से ग्राम रंगवा तक लेपन का कार्य।	1000	36.87	9.00	ग्रा0अभि0वि0
96	विकास खण्ड करंजाकला ग्राम हरबसपुर में पिच रोड से भुल्लन चौरसिया के घर से लालजी के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	500	31.22	8.00	ग्रा0अभि0वि0
97	विकास खण्ड सुजानगंज ग्राम पतहना में सर्वेश - उपाध्याय के घर से रामकिशोर सिंह व ठाकुर बस्ती तरफ लेपन का कार्य।	1000	36.87	9.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

98	विकास खण्ड मछलीशहर जंघई, मछलीशहर मार्ग पर, जगदीशपुर गेट से भटहर मार्ग तक लेपन का कार्य।	800	29.56	7.00	ग्रा0अभि0वि0
99	विकास खण्ड मछलीशहर ग्राम भटहर में चौहान बस्ती पिच रोड से हवेली बिन्द बस्ती तक लेपन का कार्य।	1500	56.57	14.00	ग्रा0अभि0वि0
100	विकास खण्ड मछलीशहर के ग्रामसभा बसेरवा में जंघई-जरौना मार्ग से मुसहर बस्ती होते हुए देवराजी देवी सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	860	33.34	8.00	ग्रा0अभि0वि0
101	विकास खण्ड बरसठी के ग्रामसभा खडवां धावा में यादव बस्ती से पाल बस्ती होते हुए पटेल बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1300	72.91	18.00	ग्रा0अभि0वि0
102	ग्राम पंचायत खर्गसेनपुर (बोसवाँ) हीरालाल विश्वकर्मा के घर से रामफेर यादव के घर से लालचन्द यादव के घर से होते हुए देवनाथ के घर तक लेपन कार्य।	510	25.32	6.00	ग्रा0अभि0वि0
103	विकास खण्ड केराकत के ग्राम निहालपुर में कहार/मुसहर बस्ती से चकसूदी तक लेपन का कार्य।	540	29.81	7.00	ग्रा0अभि0वि0
104	वि०ख० डोभी के ग्राम सभा उमरी में इन्द्रदेव सिंह के मशीन से होते हुये जू०हा० गोवर्धन गांगी नदी पर लेपन का कार्य।	510	25.32	6.00	ग्रा0अभि0वि0
105	वि०ख० जलालपुर के ग्राम कुसाँव में प्रा०वि० के बगल से चमार बस्ती में संतोष गौतम के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	600	35.51	9.00	ग्रा0अभि0वि0
	योग	**72697**	**3950.98**	**987.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उक्त कार्यों पर होने वाला व्यय रू0 **9,87,00,000** (रूपये नौ करोड़ सत्तासी लाख मात्र) वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-40 के **लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:73/2026/546(1)/35-4-2025/35-4002(003)/39/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जौनपुर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जौनपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।